# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 98 / 2018 / अपील / एल.आर.एक्ट / कोटा
दायरा दिनांकः 29.11.2018
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

**उनवान**

1. रामसुखी बाई पत्नी रामनारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम बम्बोरी तहसील दीगोद जिला कोटा।

....अपीलार्थी

**बनाम**

1. रामगोपाल आत्मज प्रभुलाल जाति बैरवा, निवासी ग्राम कराड़िया तहसील दीगोद जिला कोटा वगैरा।
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार दीगोद

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री ओमप्रकाश नागर अभिभाषक अपीलार्थी
श्री बलराम शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

**:::निर्णय:::**

दिनांक 03.09.2019

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मि0नं010 / 2015 बउनवान रामसुखी बाई बनाम रामगोपाल मे पारित निर्णय दिनांक 27.06.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि ग्राम कराड़िया तहसील दीगोद स्थित आराजी पन्नालाल आत्मज लालू जी व मांग्या, पन्ना आत्मज लालू उर्फ लाला जी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। अपीलांटा पन्नालाल जी की पुत्री छोटी बाई की पुत्री हैं, अर्थात पन्नालाल जी अपीलांटा के नानाजी हैं। अपीलांटा की माता छोटी बाई का अपीलांटा की नाबालिग अवस्था में ही देहांत हो जाने से अपीलांटा को पन्नालाल जी द्वारा अपने पास रखकर परवरिश की, लिखाई, पढ़ाई, शादी ब्याह व लालन पालन किया गया। अपीलांटा पन्नालाल जी की प्रथम श्रेणी की वारिस होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर इंतकाल नम्बर 20 अपने नाम तस्दीक करवा लिया। रेस्पो0 क्रम–1 का पन्नालाल जी से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। ना ही रेस्पो0 क्रम–1 का आराजी पर कब्जा हैं। अपीलांट पन्नालाल जी की मृत्यु पश्चात से ही उनकी सम्पति का उपयोग उपभोग करती चली आ रही हैं। उक्त तथ्यों का रेस्पो0 द्वारा कोई खण्डन नहीं करने के बाबजूद भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अपील खारिज कर दी गई, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक हैं। अपील अपीलांटा स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त फरमाये जाकर पन्नालाल के स्थान पर ग्राम कराड़िया स्थित आराजी में अपीलांटा के नाम इतंकाल तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान करे।

2 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने प्रकरण में लिखित बहस पेश की जिसका संक्षिप्त में सार है कि पन्नालाल जी के एक मात्र पुत्री छोटी बाई थी जिसके पति का नाम कन्हैयालाल जी हैं। छोटी बाई की एक मात्र पुत्री

अपीलान्टा रामसुखी बाई हैं। छोटी बाई का पन्नालाल जी के जीवन काल में ही स्वर्गवास हो गया इस कारण प्रभुलाल व रामगोपाल ने मिली भगत कर बिना अपीलान्टा की जानकारी व सूचना के इंतकाल नम्बर 20 दिनांक 12.06.1991 अपने नाम तस्दीक करवा लिया जो गलत हैं। नायब तहसीलदार दीगोद द्वारा बिना किसी साक्ष्य व आधार के रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को दत्तक पुत्र होना मानकर इंतकाल तस्दीक कर दिया, जिसकी अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा के समक्ष प्रस्तुत की गयी। यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र आर्डर 11 रूल 12 व 14 सी.पी.सी. तथा आर्डर 41 रूल 27 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर आदेश प्रदान किये बिना ही अपील खारिज कर दी जो गलत है कानूनी रूप से अपील का अन्तिम निस्तारण करने से पूर्व अपील में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का पूर्व में निर्णित किया जाना सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक हैं। किन्तु फिर भी उक्त प्रार्थना पत्रों पर कोई आदेश प्रदान नहीं किया। यह कि माननीय न्यायालय स्वयं रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में पन्नालाल जी के छोटी बाई नामक पुत्री स्वयं स्वीकार किया हैं स्वयं रेस्पोडेन्ट द्वारा रामसुखी, छोटी बाई की पुत्री न हो इस बाबत जबाब दावे में खण्डन नहीं किया हैं। रामसुखी, छोटी बाई की पुत्री हैं जो पन्नालाल जी की विधिक वारिस एवं उतराधिकारी हैं। नायब तहसीलदार द्वारा वसीयत के बारे में कोई जांच नहीं की गयी हैं और न ही कोई वसीयत पत्रावली पर हैं और न ही कोई ऐसी वसीयत पन्नालाल जी द्वारा रामगोपाल के पक्ष में आलेखित की गयी हैं। और न ही माननीय न्यायालय में वसीयत प्रस्तुत की गयी हैं। बिना किसी आधार और तथ्य के रेस्पोडेन्ट के पक्ष में इंतकाल तस्दीक कर दिया जो गलत हैं। स्वयं इंतकाल में प्रभुलाल ने कहा हैं कि मेरे काका पन्नालाल जी का स्वर्गवास हो गया हैं। उक्त इंतकाल पर किसी प्रकार की कोई जांच व साक्ष्य आदि दर्ज नहीं की गयी हैं। इस कारण उक्त इंतकाल त्रुटि पूर्ण हैं। वर्णित आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कभी कब्जा भी नहीं रहा हैं, अपीलान्टा के नाना पन्नालाल के स्वर्गवास के बाद से अपीलान्टा ही काबिज होकर काश्त करती चली आ रहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि प्रभूलाल के एक मात्र पुत्र रामगोपाल हैं प्रभूलाल के स्वर्गवास के बाद इंतकाल रामगोपाल के ही नाम दर्ज किया गया हैं, इस प्रकार एक मात्र पुत्र को कानूनी रूप से गोद नहीं दिया जा सकता, इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने कोई जांच आदि नहीं की, इस कारण इंतकाल निरस्त होने योग्य हैं। अतः अपील स्वीकार कर इंतकाल नम्बर 20 सव्यय निरस्त किया जाकर अपीलान्टा के पक्ष में पन्नालाल जी का इंतकाल तस्दीक किये जाने का आदेश प्रदान करें। लिखित बहस के साथ में नजीर एआईआर 2008 एस सी पेज नम्बर 2139, 2009 (1) डब्ल्यूएलसी (एससी) सिविल पेज नम्बर 314 आरआरटी 2017 (2) पेज नम्बर 870 पेश की।

3 विद्वान अभिभाषक रेस्पोनेन्ट ने बहस में जाहिर किया कि नामान्तकरण रेस्पो. क्रम –1 के पक्ष में विधि अनुसार ही स्वीकृत किया गया है। नामान्तकरण एक सरसरी कार्यवाही है, जिसमें किसी पक्ष के अधिकारों को निर्णित नही किया जा सकता। अधिकारो का निर्धारण सम्बन्धित राजस्व वाद के माध्यम से ही किया जाना विधि सम्मत है। अपीलांटा ने विवादित आराजी के सम्बन्ध में एक राजस्व वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद में प्रस्तुत किया गया था, जिसे वादी/अपीलान्ट ने दिनांक 08.09.2011 को नोटप्रेस में खारिज करवा लिया। अतः प्रस्तुत अपील मेन्टेनेवल नही है। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम –1 ने बहस में यह भी प्रकट किया कि अपी. के अधिवक्ता श्री धनश्याम नागर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रामगोपाल रेस्पो0 क्रम –1 के पेरोकार रहे है, अतः इनको जैरअपील निर्णय के विरूद्व अपील पेश करने का कोई अधिकार नही है। अपील खारिज की जावे।

4 हमने अपील एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया। अपील अपीलान्ट मियाद बाहर पेश की है। जैर अपील आदेश की जानकारी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 30.08.2011 को देना वर्णित करते हुए दिनांक 27.06.2018 से दिनांक 30.08.2018 तक की अवधि कन्डोन करने का अनुरोध किया। प्रा0पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ–पत्र पेश किया गया। जिसको रेस्पो0 की ओर से कोई खण्डन नही किया गया ना ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया। अतः अपील पेश करने में हुई देरी सदभाविक होने से न्यायहित में क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

5 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा नामान्तकरण सं. 20 दिनांक 12.06.1991 के विरूद्व प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील 30.04.2010 को पेश की गई जो अवधि बाधित थी। अपील के साथ डिले कन्डोन हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा0 पत्र/शपथपत्र पेश किया गया। जिसका प्रथम अपीलीय न्यायायल ने गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किये बिना ही जैरअपील निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख से यह भी प्रकट होता है कि दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में प्रस्तुत प्रा0पत्र आर्डर 11 रूल 12 व 14 सीपीसी तथा प्रा0पत्र आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी भी गुणावगुण के आधार पर आदेश प्रदान किये बिना ही अपीलाट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारित कर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है जबकि सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत अपील के निस्तारण से पूर्व अपील में प्रस्तुत प्रा0पत्रों का विधिसम्मत रूप से निस्तारण किया जाना आवश्यक है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत उक्त विवेचित प्रा0 पत्र को निस्तारित किये बिना अपील में निर्णय पारित कर त्रुटि की है, अतः अधीनस्थ न्यायाल के निर्णय को तकनिकी रूप से न्यायोचित नही ठहराया जा सकता । परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलेक्टर कोटा द्वारा प्रकरण सं. 10/2015 अपील बउनवान रामसुखी बनाम रामगोपाल वगै0 में पारित जैर अपील निर्णय दिनांक 27.6.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय पक्षकारान को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान करते हुये पुनः अपील प्रकरण में प्रस्तुत प्रा0पत्र/दस्तावेजात का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण कर पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड/प्रतिप्रेषित किया जाता है।

6 निर्णय आज दिनांक 03.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

( प्रियंका गोस्वामी )
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा